न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 159 / 2017

RCMS No.—2017/00342

1. सम्पत कुमार पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राहम्ण, निवासी सवाई जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. सत्यनारायण पुत्र रामप्रताप, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।
3. नायब तहसीलदार महोदय तुंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार महोदय बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 14.02.1992 ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, पटवार हल्का देवगांव द्वारा तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री ग्यारसी लाल मीणा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री उमेश पुरोहित अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 2 की ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांकः 15.11.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 14.02.1992 जिससे नामान्तरकरण संख्या 107 ग्राम सवाईजयसिंहपुरा, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 58/1 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 58/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 1 एवं 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.07.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 2 की ओर से श्री उमेश पुरोहित अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 व 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेखागार कलेक्ट्रेट जयपुर से मूल नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.1992 नामान्तकरण संख्या 107 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की पैतृक भूमियां ग्राम खेडामलूकपुरा, ग्राम झींझा व ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तहसील बस्सी थी। अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की पैतृक कब्जे काश्त भूमियां ग्राम सवाईजयसिंहपुरा में कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा एवं ग्राम खेडामलुकपुरा में कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एवं ग्राम झींझा में कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. रामप्रताप की मृत्यु पर तीनों गांव की भूमियों की खातेदारी तीनो भाईयो के नाम पर आ गई। उक्त तीनो ग्रामो की भूमियों का बंटवारा अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार बस्सी के आदेश क्रमांक 79 दिनांक 04.01.1992 के अनुसार किया गया जिसके अनुसार ग्राम झींझा की कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई व खसरा नंबर 2 रकबा 1 बिस्वा गै.मु.चाह का 2/3 हिस्सा अपीलांट सम्पतराम को प्राप्त हुआ। ग्राम सवाईजयसिंहपुरा की अपीलाधीन भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से रेस्पा. संख्या 1 को 9 बीघा 4 बिस्वा एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 107 से प्राप्त हुई। इसी प्रकार ग्राम खेडामलूकपुरा स्थित अपीलांट व रेस्पा. संख्या 1 व 2 की पैतृक कब्जे काश्त भूमि का भी रेस्पा. संख्या 1 के हक में नामान्तकरण 109 दिनांक 14.02.1992 स्वीकृत किया गया। रेस्पा. संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के अशिक्षित व मन्दबुद्वि का फायदा उठाते हुए जानबुझकर बंटवारे में अपीलांट को ग्राम झींझा की कम उपजाउ कम वेल्यूबल भूमि दी जो कालान्तर में मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम लगा दी गई। वर्तमान में अपीलांट के पास कोई पैतृक भूमि नहीं है। अपीलांट भी रामप्रताप का पुत्र है एवं रेस्पा. संख्या 1 व 2 के समान हैसियत रखता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 14.02.1992 वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक व. दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति से किए गए बंटवारे के आधार पर भरा जाकर रेस्पा. संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपील में अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा या अधिकार स्पष्ट हो। अपीलांट को सहमति से किए गए बंटवारे के आधार पर ग्राम झींझा, तहसील बस्सी में पैतृक भूमि दी गई । अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

(Seal: न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर)

Scanned by CamScanner

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सहमति से बंटवारे के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलांट यदि वादग्रस्त आराजी में अपना किसी प्रकार का हक, अधिकार मानते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये, नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 107 ग्राम सवाईजयसिंहपुरा, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पा. संख्या 1 व 2 के पारस्परिक बंटवारे के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 2 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.02.1992 को स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा पारस्परिक बंटवारे को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर पारस्परिक बंटवारे के आधार पर किये गये नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण जो अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक बंटवारे के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति से बंटवारे के आधार पर नामान्तरकरण विधिसम्मत स्वीकार किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अतिरिक्त कलेक्टर–प्रथम,
जयपुर

(पुखराज सेन)
अति. जिला कलक्टर–प्रथम
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

Scanned by CamScanner